2006:CGHC:6680

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

दांडिक अपील क्रमांक 505/2006

**रवि उर्फ़ रविन्द्र**

बनाम

**छत्तीसगढ़ राज्य**

निर्णय हेतु दिनांक: 08.11.2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

2006:CGHC:6680

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

---

समक्ष: माननीय श्री न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख

---

दांडिक अपील क्रमांक 505/2006

**रवि उर्फ़ रविन्द्र**

बनाम

**छत्तीसगढ़ राज्य**

---

**उपस्थित:**

श्री संदीप श्रीवास्तव, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

---

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**निर्णय**

(दिनांक 08 नवम्बर 2006 को उद्घोषित)

यह अपील, श्री ए.के. गायकवाड, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 19/2006 में, दिनांक 20 जून 2006 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 एवं 457 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर, धारा 324 के अधीन तीन वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹500/– जुर्माना, तथा धारा 457 के अधीन चार वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹500/– जुर्माना, एवं प्रत्येक अपराध हेतु जुर्माना न अदा करने की दशा में छः माह की सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया।

2. संक्षिप्त में अभियोजन की कहानी यह है कि रामू टाकरी, 24.10.2004 को रेलवे विभाग के (आई.ओ.डब्लू.) निर्माण कार्यालय, भिलाई–3 में गार्ड था। लगभग रात्रि 01:00 बजे अपीलार्थी/अभियुक्त ने परिसर की दीवारी पार कर (फिश प्लेट्स) की चोरी हेतु प्रवेश किया। रामू टाकरी ने अभियुक्त को रोकते

हुए चेतावनी दी, जिस पर अभियुक्त ने रामू टाकरी के हाथ से डंडा छीनकर उसके सिर पर बार–बार प्रहार किया और मौके से फरार हो गया। रामू टाकरी ने थाना जी.आर.पी. भिलाई में प्रातः 1:45 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.10) दर्ज कराई। चिकित्सा परीक्षण के दौरान डॉ. पी. अख्तर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, दुर्ग (अ.सा. 15) ने निम्नलिखित चोटें पाईं:

1 पश्चकलाप क्षेत्र में 5 सेमी × 1 सेमी × ½ सेमी विदीर्ण घाव, ताजा रक्तस्राव सहित।

2 बायें पार्श्विका क्षेत्र से पश्चकलाप क्षेत्र तक 8 सेमी × 1 सेमी × ½ सेमी विदीर्ण घाव, ताजा रक्तस्राव।

3 खोपड़ी के बायें ललाट क्षेत्र पर अर्द्धवृत्ताकार 14 सेमी × 2 सेमी × ½ सेमी विदीर्ण घाव, ताजा रक्तस्राव।

4 दायें पार्श्विका क्षेत्र में 6 सेमी × 1 सेमी × ½ सेमी तथा दायें पैरिटल से टेम्पोरल क्षेत्र की ओर तिरछा 10 सेमी × 1 सेमी × ½ सेमी विदीर्ण घाव, ताजा रक्तस्राव।

5 दायें पार्श्विका से पश्चकलाप क्षेत्र में तिरछा 7 सेमी × 1 सेमी × 1 सेमी विदीर्ण घाव, हड्डी प्रदर्शित।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रामू टाकरी को श्री जे.एल.एन. अस्पताल एवं शोध केंद्र में भर्ती किया गया। सिर के सीटी स्कैन में इंट्रासेरेब्रल रक्तस्राव एवं बायें टेम्पोरल व दायें ऑक्सिपिटल क्षेत्र में छोटा इन्फार्क्ट पाया गया।

3. अभियुक्त को दिनांक 30.10.2004 को ए.एस.आई. राजकुमार भोजा (पी.डब्ल्यू.14) द्वारा हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के मेमोरेंडम अनुसार दिनांक 31.10.2004 को झाड़ियों से एक डंडा बरामद किया गया। अभियुक्त के खून लगे वस्त्र भी जब्त किए गए। न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा जाँच में डंडे एवं वस्त्रों पर रक्त के अंश पाए गए। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त ने अपराध को अस्वीकृति करते हुए स्वयं को निर्दोष और रामू टाकरी द्वारा झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया और बचाव हेतु अपने पिता थुमा (ब.सा.1) को पेश किया ताकि यह स्थापित हो सके कि रामू टाकरी की उसके पिता से पूर्व वैमनस्यता थी। अभियोजन ने कुल 15 साक्षियों का परीक्षण कराया। विचारण न्यायाधीश ने रामू टाकरी के कथन के इस स्वीकारोक्ति को कि अपीलार्थी के पिता से पूर्व

वैमनस्यता के चलते अपीलार्थी को झूठा आरोप लगाया है ख़ारिज कर रामू टाकरी के कथन पर जो चिकित्सकीय साक्ष्य से समपुष्टि होता है अपीलार्थी को दोषसिद्धि के बाद दंडादेश दिया।

5. श्री संदीप श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, ने तर्क दिया कि रामू टाकरी (अ.सा.10) के प्रतिपरिक्षण कि कंडिका 13 में स्वीकार किया कि अपीलार्थी के पिता थुमा से पूर्व वैमनस्यता के कारण झूठा आरोप लगाया और झूठा प्रकरण दर्ज कराया। यह भी कहा गया कि रामू टाकरी का कथन कि अपीलार्थी ने लोहे की रॉड से उस पर हमला किया विश्वास करने योग्य नहीं है क्योंकि रामू टाकरी द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. इसकी पुष्टि में नहीं करता है। यह भी इंगित गया की घटना के दिन आई.ओ.डब्लू कार्यालय में कोई चोरी नहीं हुई। यदि अपीलार्थी चोरी करने आया होता, तो वह रामु टाकरी पर हमला करने के बाद, जिससे वह जमीन पर गिर गया होता। यह भी इंगित किया गया कि अपनी साक्ष्य के कंडिका 7 में रामु टाकरी ने स्वीकार किया कि वह थाने जाते समय किसी को घटना के बारे में नहीं बताया। आगे तर्क किया गया कि रामु टाकरी का साक्ष्य कि अपीलार्थी ने उस पर राड़ और लकड़ी की लाठी से हमला किया था, पूरी तरह अविश्वसनीय है, क्योंकि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा कि अपीलार्थी खाली हाथ था। यह तर्क किया गया कि अपीलार्थी को रामु टाकरी द्वारा उसके पिता के साथ पूर्व वैमनस्यता के कारण झूठा फँसाया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने रामु टाकरी की कंडिका 6 में रामू टाकरी की गवाही का भी हवाला दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि घटना स्थल पर अत्यंत अंधेरा था, और यह तर्क किया कि किसी अज्ञात घुसपैठिए द्वारा, जिसे रामु टाकरी पहचान नहीं सका, प्रहार किये जाने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट उसके पिता, से अपना बदला हेतु दर्ज कराई गई। समर्थन हेतु बालदेव सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य[1] तथा सुधीर व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य[2], इन मामलों का अवलंब लिया गया। दूसरी ओर, श्री एम.पी.एस. भाटिया, विद्वान पैनल अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया।

6 प्रतिद्वंद्वी पक्षों की तर्कों पर विचार करने के पश्चात, मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 19/2005 के अभिलेख का परीक्षण किया है। साक्षियों के साक्ष्य का विवेचन करते समय, न्यायालयों अपेक्षा की जाती है कि वे संभावनाओं और साथ ही स्वाभाविक मानव व्यवहार पर विचार करें, और केवल तार्किक ढंग से न करें। उदाहरणार्थ, वर्तमान प्रकरण की तथ्यों और परिस्थितियों में, निम्नलिखित प्रश्नों पर एकमात्र आहत साक्षी रामु टाकरी (अ.सा. 10) के साक्ष्य का विवेचन करते समय विचार किया जाना चाहिए था:–

[1] 2003 CRI.L.J. 880
[2] 1985 CRI.L.J. 795

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) क्या चोर उन उँची दीवारों को पार कर सकता था, जिनसे आई.ओ.डब्ल्यू. निर्माण कार्यालय घिरा था, जो कि ऊपर कंटीला तार एवं एंगल्स से घिरी हुई थी?

(ख) क्या घटना के समय अपीलार्थी लोहे की अथवा डंडा से लैस था?

(ग) क्या यह संभव था कि जब गार्ड ने, जो डंडा लिए हुए था, चोर को ललकारा, तब वह चोर एक स्वाभाविक मानवीय व्यवहार के अनुसार भाग जाता या गार्ड से भिड़ने का जोखिम उठाता, विशेषकर जब उसने उसकी छड़ी छीन ली होती?

(घ) क्या अपीलार्थी ने वास्तव में कोई फिश प्लेट चुराई, यदि वह इतना दृढ़ था कि इसके लिए गार्ड को चोट पहुँचाने तक का जोखिम लेता?

(ङ) क्या गार्ड ने घटना के बाद अपने वरिष्ठ अधिकारियो को सूचित करने के लिए कार्यालय में मौजूद दूरभाष सुविधा का प्रयोग किया था?

(च) क्या गार्ड अंधेरे में और बिना किसी रोशनी के हमलावर की पहचान कर सकता था?

(छ) क्या गार्ड ने पुलिस स्टेशन जाते समय किसी को अपीलार्थी द्वारा किए गए हमले के बारे में किसी को जानकारी दी थी?

(ज) क्या गार्ड को अपीलार्थी के पिता से कोई निजी विद्वेष था, जिसके कारण उसने हिसाब बराबर करने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई?

(झ) क्या यह संभावना नकारी जा सकती है कि गार्ड ने अंधेरे में घुसपैठिए की पहचान नहीं कर पाई और इस अवसर का फायदा उठाकर अपीलार्थी के पिता से बदला लेने हेतु झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करा दी?

(ञ) क्या गार्ड की इस कथन पर विश्वास किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने उस पर लोहे की छड़ से प्रहार किया?

(ट) क्या गार्ड ने चोर–घुसपैठिए पर हमला करने का कोई प्रयास किया?

(ठ) क्या अभियोजन पक्ष को जब्त किए गए सामानों पर मानव रक्त की उपस्थिति साबित करने में सफलता मिली?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. शिकायतकर्ता रामू टाकरी के साक्ष्य का विवेचन करते समय विचारण न्यायाधीश के मन में सभी तथ्य सजीव रहने चाहिए थे। ऐसा न होने पर, यदि आहत गवाह की गवाही का मूल्यांकन केवल यांत्रिक ढंग से किया जाए, जैसा कि किया गया, तो गलत निष्कर्ष पर पहुँचने की पूरी संभावना थी, जिससे न्याय नहीं हो पाता।

8. **ज़हीरा हबीबुल्ला एच. शेख एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य**[3] में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> "न्यायालयों को विचरण में सहभागिता पूर्ण भूमिका निभानी होती है। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे टेप रिकॉर्डर की भाँति जो गवाह कहे, उसे मात्र अभिलेखित करें। संहिता की धारा 311 एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 165, न्यायाधीशों को व्यापक अधिकार देती है, जिससे वे आवश्यक तथ्यों को सामने लाने हेतु साक्ष्य एकत्रित करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकें। उन्हें इस बात पर सतर्क दृष्टि रखनी होती है कि न्याय के हित में कोई अवांछनीय या अप्रासंगिक तथ्य अभिलेख में न लाया जाए। यहाँ तक कि यदि अभियोजन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में चूक जाता है, तो भी न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्यायोचित सत्य तक पहुँचा जाए। यह और भी आवश्यक हो जाता है, जब न्यायालय को यह संदेह हो कि अभियोजन पक्ष या अभियोजक उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। न्यायालय का यह स्वांग करना उचित नहीं कि वह ऐसी गंभीर चूकों अथवा अभियोजन पक्ष की कर्तव्यहीनता से अनभिज्ञ या बेपरवाह है। अभियोजन का वह अधिवक्ता, जो निष्पक्ष होकर न्यायालय का सहयोगी न बनकर अभियुक्त के अधिवक्ता की तरह आचरण करता है, वह न्यायिक प्रणाली के लिए बाधक है। न्यायालयों को ऐसे अभियोजन पक्ष के हाथों भी कठपुतली नहीं बनना चाहिए, जो उपेक्षा या 'पूर्ण विरक्तता' का रवैया अपनाए।"

9. उपर्युक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक है कि वह आगे से सावधानी रखे। यदि रामु टाकरी (पी.डब्ल्यू.10) ने अपनी प्रतिपरीक्षण में बिना किसी लाग–लपेट के यह स्वीकार किया कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध उसके पिता से शत्रुता के कारण झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो यह विचारण न्यायालय का कर्तव्य था कि रामु टाकरी से साक्ष्य लेते समय इस तथ्य को, अपीलार्थी के विरुद्ध दी गई उसकी साक्ष्य के संदर्भ में, स्पष्ट कराता। निर्णय लिखने के समय उपर्युक्त कथन को बस यूँ ही पृथक कर देना, बिना किसी प्रयास के, जो साक्ष्य में अस्पष्टता है उसे स्पष्ट किए बिना, न्याय में विफलता

[3] (2004) 4 Supreme Court Cases 158

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

का कारण बना। न्यायाधीश के लिए, साक्ष्य दर्ज करते समय, मूक दर्शक बने रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है कि वह चौकस व सतर्क रहे और साक्ष्य दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि साक्षी को प्रश्न ठीक से समझ में आ गया है या नहीं। इस मामले में, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया।

10. रामु टाकरी (अ.सा.10) इस घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, साथ ही वह आहत व्यक्ति भी है। तत्परता से दर्ज एफ.आई.आर. (प्रदर्श.पी.10) में उसने यह वर्णन किया कि अपीलार्थी ने आई.ओ.डब्ल्यू. निर्माण कार्यालय की बाउंड्री वाल फाँद ली थी जबकि वह शाम को गार्ड के रूप में अपनी ड्यूटी पर था। उसके शोर मचाने पर, अपीलार्थी ने उसके हाथ से छड़ी छीन ली और गंदी गालियाँ देने व जान से मारने की धमकी देने के साथ ही, उसके सिर पर 3–4 बार डंडे से वार किया। जबकि, विद्वान् विचारण न्यायाधीश के सम्मुख साक्ष्य में रामु टाकरी ने अपनी गवाही में कहा कि अपीलार्थी ने उस पर डंडा एवं लोहे की छड़ (रॉड) दोनों से हमला किया। रामु टाकरी से एफ.आई.आर. (प्रदर्श.पी.10) एवं धारा 161 सीआरपीसी (प्रदर्श.डी.1) के अधीन दिया गया बयान दिखाकर प्रश्न किया गया कि शिकायत में लोहे की छड़ से मारपीट का कोई तथ्य नहीं लिखा गया। यदि अपीलार्थी सचमुच बाउंड्रीवाल फाँदकर फिश प्लेट चोरी करने आया होता, तो हमला करने के पश्चात कुछ वस्तु निर्माण कार्यालय से चोरी करता ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह भी देखा जाना आवश्यक है कि रामु टाकरी ने अपनी गवाही के कंडिका 10 में यह स्वीकार किया कि उसने न तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जबकि कार्यालय में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध थी, और न ही उसने पुलिस स्टेशन जाते समय किसी भी व्यक्ति को इस घटना की जानकारी दी। यह आचरण विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। यदि कोई चोर, जिसके पास कोई हथियार न हो, गार्ड द्वारा जो कि हथियार (लाठी) से रखा था देखे जाने पर, स्वाभाविक रूप से भाग जाता और गार्ड पर हमला करने या उसकी लाठी छीनने का प्रयास नहीं करता। यदि चोर ऐसा करता भी, तो बिना फिश प्लेट चोरी किए, जिस उद्देश्य से वह परिसर में आया था, वापस नहीं लौटता। यदि गार्ड के हाथ में लाठी थी, और उसने चोर को देख लिया और ललकारा, तो वह कम से कम चोर द्वारा लाठी छीनने से पहले या उस पर आक्रमण किए जाने से पूर्व, अपनी लाठी से चोर पर अवश्य हमला करता।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. रामु टाकरी ने अपनी साक्ष्य के कंडिका 6 में, यह स्वीकार किया कि घटना के समय और स्थान पर घनघोर अंधेरा था। अपनी साक्ष्य में उसने यह नहीं कहा कि उसके हाथ में टॉर्च थी। इसके विपरीत, उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय व स्थान के आसपास कहीं कोई रोशनी नहीं थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि कार्यालय की दीवार 6 फीट ऊँची है, और उसके ऊपर लोहे के कोण (एंगल्स) तथा

कंटीले तार लगे हुए थे; अतः कोई भी दीवार फाँदकर परिसर के अंदर नहीं आ सकता था। यह तथ्य रामु टाकरी की साक्ष्य में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि अपीलार्थी ने दीवार फाँदी और परिसर में घुसकर चोरी का प्रयास किया तथा फिश प्लेट्स की चोरी करते हुए चुनौती दिये जाने पर रामु टाकरी के हाथ से डंडा छीनकर उसके सिर पर बार–बार प्रहार किया।

12. अभियोजन की स्थिति को और भी कमज़ोर बनाने के लिए, अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 13 में, रामु टाकरी ने, बिना किसी लाग–लपेट के, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, यह बताते हुए कि अपीलार्थी के विरुद्ध रामु टाकरी का आरोप उसके पिता थूमा से पूर्व शत्रुता के कारण था। इस कारण रामु टाकरी की यह साक्ष्य कि घटना के समय तथा स्थान पर अपीलार्थी ने ही उस पर हमला किया था, अत्यंत संदिग्ध हो जाता है। रामु टाकरी (अ.सा.10) ने अपनी गवाही के कंडिका 8 में यह भी स्वीकार किया कि थूमा ने विभागीय जांच के दौरान उसके विरुद्ध बयान दिया था तथा वह थूमा के साथ बोलचाल की स्थिति में नहीं था। थूमा (ब.सा.1) ने भी कहा कि जब उसने विभागीय जांच के दौरान रामु टाकरी के विरुद्ध बयान दिया था, उसके पश्चात रामु टाकरी ने मौके मिलने पर बदला चुकाने की धमकी दी थी। निःसंदेह, डॉ. पी. अख्तर (अ.सा.15) ने रामु टाकरी को हुई चोटों की पुष्टि की है, किंतु उपर्युक्त परिस्थितियों में यह तथ्य संदेह से परे सिद्ध नहीं होता कि वास्तव में अपराध अपीलार्थी ने ही किया था। न्यायालयिक प्रयोगशाला (प्रदर्श.पी.29) की रिपोर्ट भी अपीलार्थी की संलिप्तता संदेह से परे प्रमाणित नहीं करती, क्योंकि जब्त वस्तुओं पर मानव रक्त की उपस्थिति प्रमाणित नहीं हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समग्र रूप से साक्ष्य पर विचार करने तथा रामु टाकरी (अ.सा.10) की साक्ष्य में पाई जाने वाली गंभीर त्रुटियों के परिप्रेक्ष्य में, मेरा सुविचारित मत है कि रामु टाकरी का साक्ष्य अत्यंत संदिग्ध है और यह संभावना खारिज नहीं की जा सकती कि रामु टाकरी पर किसी अज्ञात चोर ने, गहरे अंधेरे में, निर्माण कार्यालय में, रात के समय हमला किया हो और, अपीलार्थी के पिता से शत्रुता का बदला चुकाने के लिए, रामु टाकरी ने अपीलार्थी के विरुद्ध झूठी एफ.आई.आर. दर्ज कराई हो, जिसमें अपीलार्थी पर उन अपराधों का आरोप लगाया गया हो, जो उसने किए ही नहीं। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी को संदेह का लाभ पाने का हक़दार है।

14. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 एवं 457 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त किये जाते हैं। अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त

किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो, अपीलार्थी को अविलम्ब रिहा किया जाये।

**सही/–**
**दिलीप रावसाहेब देशमुख**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है कि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By T.R.Burman, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur